

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष-सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2017

विषय:- जनपद हरदोई के सामु0स्वा0केन्द्रों में 03 नग रोगी आश्रय स्थलों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11326/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 03.01.2017 तथा शासनादेश संख्या-51/2015/262/पाँच-6-2015-30(बजट)/13 दिनांक 27.02.15 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित विवरणानुसार शासनादेश दिनांक 27.02.15 द्वारा जनपद हरदोई के सामु0स्वा0केन्द्रों में कुल 03 नग रोगी आश्रय स्थल के भवन निर्माण कार्यों की मूल स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त निर्माणाधीन रोगी आश्रय स्थलों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु उक्त निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणनों को पी0एफ0ए0डी0 द्वारा संलग्न तालिका के कालम-4 में अंकित विवरणानुसार मूल्यांकित किया गया है।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित विवरणानुसार जनपद हरदोई के 03 सामु0स्वा0केन्द्रों में निर्माणाधीन 03 नग रोगी आश्रय स्थलों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु संलग्न तालिका के कालम-04 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 97.57 लाख (रूपया सत्तानबे लाख सत्तावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु कालम-5 में अंकित विवरणानुसार अन्तर की कुल धनराशि रू0 18.01 लाख (रू0 अठारह लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा शासनादेश दिनांक 27.02.2015 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://hasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।
- (5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (6) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की ड्रूपलीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।
- (10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका व्यय/उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामु0स्वा0केन्द्र-11 सामु0स्वा0केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 90 /2017/93 (1)/पांच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०, लखनऊ।
5. संबंधित सम्बन्धीय अपर निदेशक: चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हरदोई।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सम्बन्धित सा० स्वा० केन्द्र, हरदोई।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, लखनऊ।
10. संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र०शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से


(राम नगीना मौर्य)

संयुक्त सचिव।

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	धायोजना का नाम	पूर्व में स्वीकृत लागत/ अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही प्रशासनिक लागत (पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत)	स्वीकृत की जा रही शेष धनराशि (4-3)
1	2	3	4	5
1	सामु0स्वा0केन्द्र सवायजपुर, जनपद हरदोई के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	32.69	6.17
2	सामु0स्वा0केन्द्र, हरियांवा, जनपद हरदोई के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	32.44	5.92
3	सामु0स्वा0केन्द्र अहिरौरी, जनपद हरदोई के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	32.44	5.92
	योग	79.56	97.57	18.01

(रूपया अद्वारह लाख एक हजार मात्र)


(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।